न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़

मुकदमा नंबर 144/2022
निर्णय दिनांक 13.01.2025
ऑनलाईन नंबर 2022/231

जैसाराम पुत्र स्व. फुसाराम जाति जाट निवासी सुरजनवासी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

– प्रार्थी–

बनाम

1. देवाराम पुत्र स्व. फुराराम 2. भंवरलाल पुत्र स्व. फुसाराम 3. रामचन्द्र पुत्र स्व. फुसाराम 4. हड़मानाराम पुत्र स्व. पीथाराम 5. आरी पुत्री स्व. फुसाराम 6. किसना पुत्री स्व. फुसाराम 7. रामी पुत्री स्व. फुसाराम 8. सरस्वती पुत्री स्व. फुसाराम 9. सोना पत्नी स्व. फुसाराम जाति जाट निवासीगण सुरजनवासी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर ।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थी संख्या 01 ता 02 व 5 ता 7 व 9 की ओर से
3. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रार्थी संख्या 4 की ओर से
4. एकतरफा कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 3 व 8
4. स्टेट की ओर से राजपैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान्‌जीप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत हैप्रार्थी ने उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 9 एक परिवार के सदस्य है तथा ग्राम सुरजनवासी तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के स्थाई निवासीगण है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 37 तादादी 4.52 हैक्टयर, खसरा नम्बर 75 तादादी 4.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 तादादी 12.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 तादादी 2.90 हैक्टेयर रोही मोजा सुरजनवासी तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। वादगत खेतो में प्रार्थी का 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी को वादगत खेतो में खेत खसरा नम्बर 39 तादादी 2.90 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 24 तादादी 12.05 हैक्टेयर में वादी हक हिस्सा के रूप में 11 बीघा भूमि वादी के पिता स्व. फुसरामजी ने अपने जीवन काल में ही विभाजन के रूप में ही दे दी थी जिसमें प्रार्थी उपरोक्त खेतो में विकास कार्य करवाकर शुरू से ही कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है।वादगत खेत प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 के संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थी को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पडता है तथा प्रार्थी अपने हिस्सा भूमि पर के.सी.सी. बनाने, ऋण लेने, अलग लगान कायम करने, खेत में विकास कार्य करवाने अपनी भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने आदि से वंचित हो रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से वादगत खेतो का विभाजन करवाने के लिए तहसील कार्यालय चलने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को विभाजन करवाने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया और प्रार्थी को धमकी दी कि हम वादगत खेतो का विभाजन करवाये बिना ही तुम्हे बेदखल कर वादगत खेतो को अपने कब्जे में ले लेंगे अथवा तुम्हारी बिना सहमति के उपजाऊ भूमि पर ट्यूबवेल बनाकर बिजली कनेक्शन लेकर तुम्हे हमेशा के

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:05:13 IST
Reason: SelfAttested

लिए बेदखल कर देगें व वादगत खेतो को बैंक में रहन रखकर भूमियो को बैक के अधीन कर देगें । अप्रार्थीगण दूसरे लोगो के बहकावे में आये हुए है। प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि की जो प्रार्थी को अपने पिता के द्वारा हिस्सा पांती में दी हुई है से भी बेदखल करने की ऐलानिया धमकियां दी है। अगर अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके कब्जा, काश्त व हिस्से की भूमि से बेदखल करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूरणिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन का मामला भी प्रार्थी के पक्ष में है । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से दिनांक 23.06.2022 को वादगत खेत का खाता विभाजन करवाने के लिए तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ चलने का निवेदन किया और कहा कि वादगत खेत का रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार खाता विभाजन करवा लेते है। परन्तु अप्रार्थीगण ने तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ चलकर खाता विभाजन के लिए इन्कार कर दिया तथा साथ ही अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि हम वादगत खेत का खाता विभाजन नही करवायेगे व बिना खाता विभाजन करवाये ही वादगत खेत किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर तुम्हे बेदखल कर देगें व तुम्हारे द्वारा खेतो की हई तारबंदी व पटिटया उखाडकर फैंक देगें। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से गलत कृत्य न करने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण, प्रार्थी की बात मानने से स्पष्ट इन्कार हो गये। इसलिए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र करने के अलावा कोई विकल्प नही बचा है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 23.06.2022 को वादगत खेत का खाता विभाजन करवाने से इन्कार करने व वादगत खेत को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर वादी को बेदखल करने की धमकी कि दिनांक से प्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियांद पेश है।अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 37 तादादी 4.52 हैक्टयर, खसरानम्बर 75 तादादी 4.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 तादादी 12.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 तादादी 2.90 हैक्टेयर रोही मोजा सुरजनवासी तहसील श्रीडूंगरगढ में को बिना खात विभाजन करवाये, विक्रय, रहन, बैय आदि नही करें बिना सहमति के विधुत कनेक्शन ना लेवें ना ही टयूबवैल निर्माण करावें। प्रार्थी को अपने हिस्सा भूमि से बेदखल नही करे। प्रार्थी की फसल को खुर्द बूर्द नही करें तथा ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य न स्वयं करे ना ही किसी अन्य से कराये जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों पर विपरित असर पडता हो।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1,2,4 ता 7 व 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 3 व 8 की ओर से असालतन व वकालतन कोई उपस्थित नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1,2,4 ता 7 व 9 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

Signature Not Verified

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए साथ पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति बनायें रखे जाने का निवेदन किया गया।

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:05:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 5 ता 7 व 9 अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 37 तादादी 4.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 तादादी 2.9000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 तादादी 12.05 हैक्टेयर रोही सूरजनवासी एवं खरारा नम्बर 75 तादादी 4.3300 हैक्टेयर रोही इन्दपालसर हीरावतान में स्थित है। जो आपस में बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस हिस्से पांती में आये हुए है। आपसी विभाजन के अनुसार प्रत्येक खसरानो मे प्रत्येक खातेदार को हिस्सा दिया हुआ है। मौके पर प्रत्येक खातेदार का अलग अलग कब्जा काश्त कायम है। वादगत खसरानो में हिस्से अनुसार विभाजन करवाने के लिए सहमत है। हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने से किसी भी प्रकार की परेशानी नही होगी। प्रार्थी बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस विभाजन करवाने के लिए सहमत है प्रार्थी एवं अप्रार्थी का अलग अलग कब्जा काश्त कायम है अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 व 4 ने अपने कब्जे काश्त में ट्यूबैल बना रखा है जिस पर कनेक्शन लिया जा रहा है जिससे अप्रार्थी अपने खेतो की सिंचाई कर सके लेकिन प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को टयूबैल पर कनेक्शन रोकने के उदेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य है। अप्रार्थी रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन करवाने के लिए सहमत है। लेकिन प्रार्थी द्वारा सिर्फ कृषि टयूबेल कनेक्शन को रोकने के उदेश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अस्वीकार योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनगढत बातो पर आधारित होने से खारिज किये जाने काबिल है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के नाम से सयुक्त खातेदारी दर्ज है एवं हिस्सा अनुसार ही मौके पर कब्जा काश्त कायम है अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से में टयूबैल का निर्माण किया गया है जिसको रोकने के लिए प्रार्थी द्वारा झूठमूठ का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अस्वीकार योग्य है संयुक्त खातेदार द्वारा टयूबैल का निर्माण करने एवं कनेक्शन रोके जाने बाबत निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से एवं कब्जा काश्त में टयूबैल बनाकर कृषि ने अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है कुए खोदने एवं कृषि कनेक्शन लेने का कनेक्शन लिया जा रहा है जो एवं सुधार कार्य है जिसको रोकने के लिए प्रार्थी सुधार कार्य है जिस पर निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का अपने अपने हिस्से अनुसार अलग अलग कब्जा काश्त है और अप्रार्थीगण अपने कब्जा काश्त में टयूबैल का निर्माण कर कनेक्शन ले रहा है टयूबैल निर्माण करने एवं कनेक्शन लेने से किसी भी प्रकार का दुर्व्ययन नही होता। अप्रार्थी अपनी हिस्से की भूमि को सिचाई करने के लिए टयूबैल का निर्माण कर कनेक्शन ले रहा है जिसको रोके जाने से अप्रार्थी को होगी। जिससे अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। टयूबैल निर्माण एवं कनेक्शन लेने में प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षति कारित नही हो रही है इसलिए अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष में नही है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है । अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर सुधार कार्य करने के उदेश्य से टयूबैल का निर्माण किया है एवं उससे सिंचाई करने के लिए विधुत कनेक्शन ले रहा है जिससे प्रार्थी को किसी भी प्रकार की असुविधा नही हो रही है एवं प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से पांती की भूमि पर ट्यूबैल का निर्माण करने एवं उस पर कनेक्शन लेने से रोके जाने से अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को हो रही है एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी का कब्जा काश्त अपने अपने हिस्से अनुसार अलग अलग होने से पृथमदृयट्या मामला भी अप्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण हिस्से अनुसार अपना खाता अलग करवाने के लिए सहमत है अप्रार्थीगण हिस्सा के अनुसार विभाजन के लिए सहमत है प्रार्थी को किसी भी प्रकार का नुकशान नही हो रहा है न ही किसी भी प्रकार की क्षति

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:45:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

कारित हो रही है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार होने एवं अप्रार्थीगण विभाजन के लिए सहमत होने से सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण सहखातेदार होने से एवं अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकारो से रोके जाने से अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को कारित होगी। अप्रार्थीगण विभाजन के लिए सहमत होने सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है एवं कब्जा अप्रार्थीगण का अपने हिस्से पर होने से पृथमदृष्टया मामला भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः जवाबप्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपूरणीय क्षति, प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन नही होने से एवं अप्रार्थीगण का अपूरणीय क्षति, प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 37 तादादी 4.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 तादादी 2.9000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 तादादी 12.05 हैक्टेयर रोही सूरजनवासी एवं खसरा नम्बर 75 तादादी 4.3300 हैक्टेयर रोही इन्दपालसर हीरावतान में स्थित है। जिसमें से अप्रार्थी ने अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से खरीद किया है अप्रार्थी संख्या 4 का 2529/45200 हिस्सा स्थित है जिसमें अप्रार्थी ने टयूबैल बना रखा है। जो आपस में बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस हिस्से पांती में आये हुए है। आपसी विभाजन के अनुसार प्रत्येक खसरानो मे प्रत्येक खातेदार को हिस्सा दिया हुआ है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 अस्वीकार है मौके पर प्रत्येक खातेदार का अलंग अलग कब्जा काश्त कायम है। वादगत खसरानो में हिस्से अनुसार विभाजन करवाने के लिए सहमत है। हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने से किसी भी प्रकार की परेशानी नही होगी। अप्रार्थी बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस विभाजन करवाने के लिए सहमत है प्रार्थी एवं अप्रार्थी का अलग अलग कब्जा काश्त कायम है अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 व 4 ने अपने कब्जे काश्त में ट्यूबैल बना रखा है जिस पर कनेक्शन लिया जा रहा है जिससे अप्रार्थी अपने खेतो की सिंचाई कर सके लेकिन प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को टयूबैल पर कनेक्शन रोकने के उदेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है। अप्रार्थी रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन करवाने के लिए सहमत है। लेकिन प्रार्थी द्वारा सिर्फ कृषि टयूबेल कनेक्शन को रोकने के उदेश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अस्वीकार योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनगढत बातो पर आधारित होने से खारिज किये जाने काबिल है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के नाम से सयुक्त खातेदारी दर्ज है एवं हिस्सा अनुसार ही मौके पर कब्जा काश्त कायम है अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से में टयूबैल का निर्माण किया गया है जिसको रोकने के लिए प्रार्थी द्वारा झुठमूठ का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अस्वीकार योग्य है संयुक्त खातेदार द्वारा ट्यूबैल का निर्माण करने एवं कनेक्शन रोके जाने बाबत निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से एवं कब्जा काश्त में टयूबैल बनाकर कृषि कनेक्शन लिया जा रहा है जो एवं सुधार कार्य है जिसको रोकने के लिए प्रार्थी ने अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है कुए खोदने [illegible] सुधार कार्य है जिस पर निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। प्रार्थी एवं अ[illegible] अपने अपने हिस्से अनुसार अलग अलग कब्जा काश्त है और [illegible] में टयूबैल का निर्माण कर कनेक्शन ले रहा है टयूबैल नि[illegible] से किसी भी प्रकार का दुर्व्ययन नही होता । अप्रार्थी अपनी हिस्से की भूमि [illegible] सिंचाई करने के लिए टयूबैल का निर्माण कर कनेक्शन ले रहा है जिसको रोके जाने [illegible] अप्रार्थी को क्षति कारित होगी। जिससे अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है । टयूबैल निर्माण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:05:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कनेक्शन लेने में प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षति कारित नही हो रही है इसलिए अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष में नही है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काविल खारिज है। अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर सुधार कार्य करने के उदेश्य से ट्यूबैल का निर्माण किया है एवं उससे सिंचाई करने के लिए विधुत कनेक्शन ले रहा है जिससे प्रार्थी को किसी भी प्रकार की असुविधा नही हो रही है एवं प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से पांती की भूमि पर ट्यूबैल का निर्माण करने एवं उस पर कनेक्शन लेने से रोके जाने से अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को हो रही है एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी का कब्जा काश्त अपने अपने हिस्से अनुसार अलग अलग होने से पृथमदृयट्या मामला भी अप्रार्थी के पक्ष में है अप्रार्थीगण सहखातेदार है जो अपना खाता अलग करवाने के लिए सहमत है अप्रार्थीगण हिस्सा के अनुसार विभाजन के लिए सहमत है प्रार्थी को किसी भी प्रकार का नुकशान नही हो रहा है। न ही किसी भी प्रकार की क्षति कारित हो रही है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार होने एवं अप्रार्थीगण विभाजन के लिए सहमत होने से सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है अप्रार्थीगण सहखातेदार होने से एवं अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकारो से रोके जाने से अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को कारित होगी । अप्रार्थीगण विभाजन के लिए सहमत होने सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है एवं कब्जा अप्रार्थीगण का अपने हिस्से पर होने से प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपूरणीय क्षति, प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन नही होने से एवं अप्रार्थीगण का अपूरणीय क्षति, प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा सयुक्त खातेदारी के अविभाजित खेत खसरा नम्बर 37 तादादी 4.52 हैक्टयर, खसरा नम्बर 75 तादादी 4.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 तादादी 12.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 तादादी 2.90 हैक्टेयर रोही सुरजनवासी तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित खसरान भूमि का खाता विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, अस्थायी निषेधाज्ञा का उद्धेश्य मूलवाद की विषय वस्तु को सुरक्षित बनाए रखना है। उभयपक्षकारान तादावा फैसला राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाऐं रखें।

आदेश आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:05:13 IST
Reason: SelfAttested